न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	26/25	2025/29	15.01.2025	रामसिंह बनाम सरकार	17.11.2025	1 लगायत 2

1. रामसिंह पुत्र मूलचन्द्र जाति नट निवासी मोतीपुरा तहसील गंगापुर सिटी। —अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी । —रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

अपीलार्थी की और से :— विद्वान अभिभाषक श्री इस्लाम खां।

रेस्पोडेन्ट की और से :— पेरोकार सरकार

अपील अर्न्तगत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 85/2024 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मोतीपुर के आराजी ख0नं0 352 रकबा 0.02 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिपोर्ट पेश की कि अपीलार्थी द्वारा भूमि हाल खं0नं0 352 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0चरागाह ग्राम मोतीपुरा में संवत् 2021 में अनाधिकृत रूप से ईधन व पत्थर डाल कर अतिकमण कर रखा है। इस पर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा अपीलार्थी को पश्चातवृर्ति अतिकमी मानकर 60 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित कर दिया ,जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी को यह अपील निम्न आधारों पर पेश करनी आवश्यक हुयी है। यह है कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व [illegible] मिसल है,जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया [illegible] र्थी ने अदालत मातहत में कब्जा छोड़ने की लिखकर दे दी थी। उसके बावजूद भी अदालत मातहत [illegible] अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये जबाब पर कोई गौर नहीं कर अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपीलार्थी का शपथ पत्र इस आशय का कि अपीलार्थी भूमि [illegible] 352

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

रकबा 0.02 है0 गै0मु0चरागाह स्थित ग्राम मोतीपुरा से अपना कब्जा हटा लिया है। अब अपीलार्थी या अपीलार्थी का परिवार का कोई सदस्य उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगे, साथ ही विद्वान अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपीलार्थी ने एक शपथ पत्र इस बाबत् प्रस्तुत किया अपीलार्थी भूमि खं0नं0 352 रकबा 0.02 है0 गै0मु0चरागाह स्थित ग्राम मोतीपुरा से अपना कब्जा हटा लिया है। अब अपीलार्थी या अपीलार्थी का परिवार का कोई सदस्य उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगे।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार गंगापुर सिटी आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 29.08.2024 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.08.2024 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:16 IST
Reason: SelfAttested